1

लक्ष्मण

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

27 अगस्त, 2002

[जी.बी. पटनायक, एम. बी. शाह, दोराइस्वामी राजू, एस. एन. वरियावा और डी. एम. धर्माधारी न्यायमूर्तिगण]

साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 32-मृत्युकालिक घोषणा-चिकित्सा प्रमाणन के अभाव में कि मृतक घोषणा करने के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में था- अवधारित, जहां साक्षियों के परिसाक्ष्य से यह साबित हो जाता है कि घोषणाकर्ता बयान देने के लिए स्वस्थ स्थिति में था, ऐसी घोषणा पर कार्यवाई की जा सकती है यदि वह स्वैच्छिक और सत्य हो।

अपीलार्थी-अभियुक्त को, मृतक के मृत्युकालिक घोषणा पर विश्वास करते हुए, मजिस्ट्रेट के साक्ष्य, जिसके समक्ष बयान दिया गया था और चिकित्सक के प्रमाण-पत्र पर विश्वास करते हुए निचली अदालतों द्वारा दोषी ठहराया गया था।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी ने *पापारम्बाका रोसम्मा* के मामले पर विश्वास करते हुए तर्क दिया कि मृत्युकालिक घोषणा विश्वसनीय नहीं था क्योंकि चिकित्सक ने इस प्रभाव को प्रमाणित नहीं किया था कि मरीज बयान देने के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में था। प्रत्यर्थी ने, *कोली चुनिलाल सावजी* के मामले पर विश्वास करते हुए, प्रतिवाद किया कि इस तरह के प्रमाणन के अभाव में मृत्युकालिक घोषणा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है यदि अभिलेख पर उपस्थित सामग्री इंगित करती है कि मृतक सचेतन अवस्था में था और बयान देने में सक्षम था। चूंकि दोनों पक्षों द्वारा दिए गए दो निर्णय परस्पर विरोधाभासी थे, इसलिए मृत्युकालिक घोषणा की विश्वसनीयता का प्रश्न संविधान पीठ को निर्दिष्ट किया गया।

प्रश्न का उत्तर देते हुए न्यायालय ने अवधारित किया कि-

1- आमतौर पर न्यायालय इस बात से संतुष्ट होने के लिए कि क्या मृतक मृत्युकालिक घोषणा के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में था, चिकित्सीय राय पर गौर करती है। लेकिन जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कहते हों कि मृतक घोषणा करने के लिए स्वस्थ और सचेतन अवस्था में था वहाँ चिकित्सक की राय प्रबल नहीं होगी और न ही यह कहा जा सकता है कि चूंकि घोषणाकर्ता की मानसिक स्थिति के बारे में चिकित्सक का कोई प्रमाणन नहीं है, इसलिए मृत्युकालिक घोषणा स्वीकार्य नहीं है। मृत्युकालिक घोषणा मौखिक या लिखित हो सकता है और संचार के किसी भी पर्याप्त तरीके से हो सकता है, चाहे शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या अन्यथा, बशर्ते संकेत सकारात्मक और निश्चित हो। हालांकि, ज्यादातर मामलो में, इस तरह के बयान मृत्यु से पूर्व मौखिक रूप से दिए जाते है और मजिस्ट्रेट या चिकित्सक या पुलिस अधिकारी जैसे किसी व्यक्ति द्वारा लिखे जाते है। जब इसे लेखबद्ध किया जाता है, तो किसी शपथ की आवश्यकता नहीं होती है और न ही मजिस्ट्रेट की उपस्थिति बिल्कुल आवश्यक होती है हालांकि प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, किसी व्यक्ति का बयान लेखबद्ध करने के लिए जो मरने वाला है, यदि उपलब्ध हो तो बयान लेखबद्ध करने के लिए मजिस्ट्रेट को सामान्यतः बुलाना चाहिए। विधि की अपेक्षा नहीं है कि मृत्युकालिक घोषणा अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रेट से की जानी चाहिए और जब ऐसा बयान मजिस्ट्रेट द्वारा लेखबद्ध किया जाता है तो ऐसे लेखबद्ध करने का कोई वैधानिक प्रारूप नहीं होता है। परिणामतः ऐसे बयान का क्या साक्ष्यिक मूल्य या वजन होगा, यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक विशेष मामले की परिस्थितियों एवं तथ्यों पर निर्भर करता है। जो आवश्यक रूप से अपेक्षित है वह यह है कि जो व्यक्ति मृत्युकालिक घोषणा लेखबद्ध करता है , उसे संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक स्वस्थ मानसिक स्थिति में था। जहाँ मजिस्ट्रेट के परिसाक्ष्य द्वारा यह साबित हो जाता है

कि ऐसी घोषणाकर्ता बयान देने हेतु स्वस्थ स्थिति में था तो चिकित्सक के द्वारा परीक्षण के बिना भी घोषणा पर कार्यवाही की जा सकती है बशर्ते कि न्यायालय अंतत : इसे स्वैच्छिक और सत्य अवधारित करती हो। चिकित्सक द्वारा प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से सावधानी का एक नियम है और इसलिए घोषणा की स्वैच्छिक और सत्य प्रकृति को अन्यथा स्थापित किया जा सकता है।

2- यह एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण है कि चिकित्सक का प्रमाणन इस आशय का था कि मरीज सचेतन अवस्था में है और इसका कोई प्रमाणन नहीं था कि मरीज स्वस्थ मानसिक स्थिति में था, विशेष रूप से जब मजिस्ट्रेट ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से उन प्रश्नो का संकेत देते हुए कहा हो जो उसने मरीज से प्रश्न पूछे और प्राप्त उत्तरो से वह संतुष्ट था कि मरीज स्वस्थ मानसिक स्थिति में था, जिसके बाद उसने मृत्युकालिक घोषणा अभिलिखित किया।

कोली चुनिलाल सावजी और अन्य बनाम गुजरात राज्य **[1999] 9 एससीसी 562 की अभिपुष्टि की गयी।**

पापारम्बाका रोसम्मा और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य **[1999] 7 एससीसी 695 उलट दिया गया।**

रवी चन्दर बनाम पंजाब राज्य **[1998] 9 एससीसी 303** और *हरजीत कौर बनाम पंजाब राज्य* **[1999] 6 एससीसी 545** निर्दिष्ट किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 608 वर्ष 2001

आपराधिक अपील सं. 288 वर्ष 1994 में बाम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 13/14 अक्टूबर 1999 से।

एस.मुरलीधर, अधिवक्ता (ए.सी.) अपीलार्थीगण की ओर से।

यू.यू.ललित, एन.वी.रघुपति, रवी अदसुरे और एस.एस.सिंदे उत्तरदाता की ओर से।

इस न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति पटनायक** द्वारा दिया गया- इस आपराधिक अपील में अपीलार्थी अभियुक्त की दोषसिद्धि मृतक की मृत्युकालिक घोषणा पर आधारित थी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.डब्लू.4) द्वारा अभिलिखित थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश साथ ही साथ उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि मृतक के द्वारा की गयी मृत्युकालिक घोषणा सत्य , स्वैच्छिक एवं विश्वासयोग्य है। मजिस्ट्रेट ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि उसने ड्यूटी पर उपस्थित चिकित्साधिकारी के माध्यम से मरीज से सम्पर्क किया और मरीज के समक्ष कुछ प्रश्न यह जानने के लिए रखे कि क्या वह बयान देने में सक्षम है ; क्या उसे आग लगायी गयी; क्या वह सचेत और बयान देने में सक्षम है और संतुष्ट होने पर ही उसने मृतक का बयान अंकित किया। चिकित्सक का एक प्रमाण-पत्र भी था जो यह दर्शित करता है कि मरीज सचेतन अवस्था में था। उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के साक्ष्य पर विचार करते हुए साथ ही साथ मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित मृत्युकालिक घोषणा के सम्बन्ध में चिकित्सक के द्वारा दिये गये प्रमाण -पत्र साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध अन्य परिस्थितियों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृतका चन्द्रकला शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ थी इसलिए मृत्युकालिक घोषणा पर विश्वास किया जा सकता है। जब बाम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ के निर्णय के विरूद्ध अपील इस न्यायालय के तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ के समक्ष रखी गयी तब अपीलार्थी के अधिवक्ता ने *पापारम्बाका रोसम्मा और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य* [1999] 7 एससीसी 695 के वाद में इस न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया और प्रतिवाद किया कि चूंकि चिकित्सक का प्रमाणन इस प्रभाव का नहीं था कि मरीज बयान देने कि लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में था इसलिए न्यायालय द्वारा दोषिसिद्धि के लिए मृत्युकालिक घोषणा को एक मात्र आधार स्वीकार्य नहीं किया जा सकता था। राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने इस न्यायालय के एक अन्य तीन

न्यायमूर्तिगण की पीठ के द्वारा *कोली चुनिलाल सावजी और अन्य बनाम गुजरात राज्य* [1999] 9 एससीसी 562 के वाद में दिये गये निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया जिसमें इस न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि यदि पत्रावली पर उपलब्ध वस्तुएं यह दर्शित करती हो कि मृतक पूर्णतः सचेतन अवस्था में था और बयान देने में सक्षम था तब अभिलिखित की गयी मृतक की मृत्युकालिक घोषणा की मात्र इसलिए अनदेखी नहीं की जा सकती कि चिकित्सक ने यह पृष्ठांकित नहीं किया है कि मृतक प्रश्नगत बयान को देने हेतु स्वस्थ मानसिक स्थिति में था। चूंकि तीन विद्वान न्यायमूर्तिगण की दो पीठों द्वारा दिये गये उपरोक्त वर्णित दो निर्णय कुछ हद तक विरोधाभाषी थे इसलिए पीठ ने आदेश दिनांकित 27.07.2002 द्वारा प्रश्न संविधान पीठ को निर्दिष्ट किया।

शुरू में ही हम यह स्पष्ट कर देना चाहते है कि केवल इस न्यायालय के उपरोक्त तीन न्यायमूर्तिगण की पीठों के निर्णय में कथित विरोधाभाष को निस्तारित कर रहे है, जिसके उपरांत आपराधिक अपील न्यायमूर्ति एम.बी.शाह की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रखी जायेगी जिन्होने प्रकरण संविधान पीठ को निर्दिष्ट किया है। इसलिए हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों की समीक्षा करने से बच रहे है और हम अपने विचारों को उपरोक्त दो निर्णयों की शुद्धता तक सीमित कर रहे है।

मृत्युपूर्व बयान की स्वीकार्यता के बारे में न्यायिक सिद्धान्त यह है कि ऐसी घोषणा चरम सीमा पर की जाती है, जब पक्ष मृत्यु के कगार पर होता है और जब इस दुनिया की हर उम्मीद खत्म हो जाती है, जब झूठ बोलने का हर मकसद शांत हो जाता है और जब आदमी केवल सत्य बोलने के सबसे शक्तिशाली विचार द्वारा प्रेरित हो जाता है। इसके बावजूद कई परिस्थितियों के अस्तित्व के कारण, जो उसकी सत्यता को प्रभावित कर सकती है, इस प्रकार के साक्ष्य को दिए जाने वाले महत्व पर विचार करते समय बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए। जिस स्थिति में एक आदमी मृत्यु शैय्या पर होता है , वह इतनी गंभीर व शांत है कि यही उसके कथन की सत्यता को स्वीकार करने का विधिक कारण है। यही कारण है कि शपथ और प्रतिपरीक्षा की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है। चूंकि अभियुक्त के पास प्रतिपरीक्षा का अधिकार नहीं है इसलिए न्यायालय इस बात पर बल देती है कि मृत्युकालिक घोषणा ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि न्यायालय को उसकी सत्यता एवं शुद्धता के सम्बन्ध में पूर्ण विश्वास प्रेरित करता हो। यद्यपि न्यायालय को यह देखने के लिए हमेशा सतर्क रहना पडता है कि मृतक का बयान सिखाने या उकसाने या कल्पना के परिणामस्वरूप तो नहीं था। न्यायालय को आगे यह भी निर्णित करना चाहिए कि मृतक स्वस्थ मानसिक स्थिति में था और उसे हमलावर को देखने और पहचानने का अवसर मिला था। इसप्रकार , सामान्यतः न्यायालय इस संतुष्टि के लिए कि क्या मृतक मृत्युकालिक कथन करने के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में था , चिकित्सीय राय को देखती है। लेकिन जहाँ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कथन करते हो कि मृतक घोषणा करने के लिए स्वस्थ और सचेतन अवस्था में था, वहां चिकित्सक की राय प्रभावी नहीं होगी और न ही यह कहा जा सकता है कि चूंकि घोषणा करने वाले की मानसिक स्थिति के बारे में चिकित्सक का कोई प्रमाणन नहीं है इसलिए मृत्युकालिक घोषणा स्वीकार्य नहीं है। मृत्युकालिक घोषणा मौखिक या लिखित हो सकता है और संचार के किसी भी पर्याप्त तरीके से हो सकता है चाहे वह शब्दों द्वारा संकेतो द्वारा या अन्यथा यह पर्याप्त होगा बशर्ते कि संकेत सकारात्मक और निश्चित हो। यद्यपि अधिकांश मामलों में इस प्रकार के बयान मृत्यु से पूर्व मौखिक रूप से दिये जाते है और मजिस्ट्रेट या चिकित्सक या पुलिस अधिकारी जैसे किसी व्यक्ति द्वारा लिखे जाते है। जब इसे अभिलिखित किया जाता है तो किसी शपथ की आवश्यकता नहीं होती है न ही मजिस्ट्रेट की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक होती है, यद्यपि प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए मरने वाले

व्यक्ति का बयान लिखने के लिए सामान्यत: मजिस्ट्रेट को, यदि उपलब्ध हो तो बुलाना चाहिए। विधि की कोई आवश्यकता नहीं है कि मृत्युकालिक घोषणा अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रेट से की जानी चाहिए और जब ऐसा बयान मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किया जाता है तो उसका कोई वैधानिक प्रारूप नहीं होता है। परिणामत: ऐसे बयान का क्या साक्ष्यिक मूल्य या वजन होना चाहिए , अनिवार्य रूप से यह प्रत्येक विशिष्ट मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अनिवार्य रूप से जो आवश्यक है वह यह है कि वह व्यक्ति जो मृत्युकालिक घोषणा अंकित करता है उसे संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक स्वस्थ मानसिक स्थिति में था। जहाँ मजिस्ट्रेट के साक्ष्य से यह साबित होता हो कि घोषणाकर्ता बयान हेतु स्वस्थ स्थिति में था तब चिकित्सक के जांच के बिना भी घोषणा पर कार्यवाही की जा सकती है बशर्ते न्यायालय अंतत: इसे स्वैच्छिक और सत्य मानती हो। चिकित्सक द्वारा प्रमाणन अनिवार्य रूप से एक सावधानी का नियम है और इसलिए घोषणा की स्वैच्छिक एवं सत्य प्रकृति को अन्यथा भी स्थापित किया जा सकता है।

उपरोक्त सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए, अब न्यायालय के दो निर्णयों का परीक्षण करते हैं जिन्होने पीठ को मामला संविधान पीठ को को निर्दिष्ट करने हेतु प्रेरित किया। *पापारम्बाका रोसम्मा और अन्य बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य* [1999] *7* एससीसी 695 में प्रश्नगत मृत्युकालिक घोषणा एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित किया गया था और मजिस्ट्रेट ने घोषणाकर्ता से किये गये प्रश्नो के प्राप्त उत्तरो , जिसके आधार पर वह संतुष्ट था कि मृतक बयान के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में था, की एक टिप्पणी तैयार किया था। चिकित्सक ने इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र संलग्न किया था कि बयान अभिलिखित करते समय मरीज सचेतन अवस्था में था इसके बाद भी न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मृत्युकालिक घोषणा को सही और वास्तविक और बयान अभिलिखित करते समय घायल स्वस्थ मानसिक स्थिति में था , स्वीकार करना सुरक्षित नहीं होगा क्योंकि चिकित्सक का प्रमाण पत्र केवल इस प्रभाव का था कि बयान अभिलिखित करते समय मरीज सचेतन अवस्था में था। उपरोक्त निष्कर्षों के अतिरिक्त न्यायालय ने उक्त विधि में गंभीर कमियाँ पायी और अंतत: मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक घोषणा को स्वीकार नहीं किया। इस न्यायालय के बाद के निर्णय , *कोली चुनिलाल सावजी और अन्य बनाम स्टेट आफ गुजरात* [1999] 9 एससीसी 562 में यह अवधारित किया गया है कि अंतिम परीक्षण यह है कि क्या मृत्युकालिक घोषणा को सत्य और स्वैच्छिक रूप से दिया गया अवधारित किया जा सकता है। आगे यह अवधारित किया गया कि घोषणा अभिलिखित करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि घोषणाकर्ता प्रश्नगत बयान देने के लिए स्वस्थ स्थिति में था। न्यायालय ने पूर्व के निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया। *रवी चन्दर बनाम पंजाब राज्य* [1998] 9 एससीसी 303 में जिसमें यह संप्रेक्षित किया गया था कि चिकित्सक के द्वारा परीक्षण न करने के कारण कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित मृत्युकालिक घोषणा और मौखिक रूप से बताये गये मृत्युकालिक घोषणा पर संदेह नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट के हितरहित साक्षी और जिम्मेदार अधिकारी होने और इस बात के लिए कोई सामग्री या परिस्थिति न होने के कारण जिससे यह संदेह किया जा सके कि मजिस्ट्रेट की अभियुक्त से कोई रंजिश थी या किसी प्रकार से मिथ्या मृत्युकालिक घोषणा गढने में हितबद्ध था, तो मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित घोषणा पर संदेह का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

उपरोक्त वाद में न्यायालय ने *हरजीत कौर बनाम स्टेट आफ पंजाब* [1999] 6 एससीसी 545 के वाद में इस न्यायालय के निर्णय पर भी विश्वास व्यक्त किया। जिसमें मजिस्ट्रेट ने अपने साक्ष्य में कहा था कि उसने चिकित्सक से पुष्ट किया कि क्या वह बयान देने के लिए स्वस्थ स्थिति में थी और उक्त आशय का पृष्ठाकंन भी प्राप्त किया और केवल इसलिए कि उक्त पृष्ठांकन घोषणा पर नहीं था बल्कि प्रार्थना -पत्र पर था उक्त मृत्युकालिक घोषणा को किसी भी प्रकार से

संदिग्ध नहीं बनायेगा। उपरोक्त वर्णित कारणों से हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नही है कि *पापारम्बाका रोसम्मा और अन्य बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य* [1999] 7 एससीसी 695 के मामले में इस न्यायालय द्वारा संप्रेक्षित "चिकित्सीय प्रमाणन के अभाव में कि घोषणा के समय घायल स्वस्थ मानसिक स्थिति में था, एक मजिस्ट्रेट की व्यक्तिपरक संतुष्टि को स्वीकार करना बहुत जोखिमपूर्ण होगा जिसने यह राय दी कि घायल घोषणा करते समय स्वस्थ मानसिक स्थिति में था" बहुत व्यापक रूप से कहा गया है और यह विधि की सही व्याख्या नहीं है। वास्तव में यह अति तकनीकि दृष्टिकोण है कि चिकित्सक का प्रमाणन इस बात का था कि मरीज सचेतन अवस्था में है और इस बात को कोई प्रमाणन नहीं था कि मरीज स्वस्थ मानसिक स्थिति में था विशेष रूप से जब मजिस्ट्रेट ने अपने साक्ष्य में विशिष्ट रूप से उन प्रश्नो को बताया जो प्रश्न उसने मरीज से किये और उसके द्वारा दिये गये उत्तरों से वह संतुष्ट हुआ कि मरीज स्वस्थ मानसिक स्थिति में था जिसके पश्चात उसने मृत्युकालिक घोषणा अभिलिखित किया। इसप्रकार, *पापारम्बाका रोसम्मा और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य* [1999] 7 एससीसी 695 में इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय निश्चित ही अवधारित किया जाना चाहिए कि सही प्रकार से निर्णीत नहीं किया गया और हम *कोली चुनिलाल सावजी और अन्य बनाम गुजरात राज्य* [1999] 9 एससीसी 562 के वाद में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि की पुष्टि करते है।

आपराधिक अपील के अभिलेख अब न्यायमूर्ति शाह के अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रखे जाये जिस न्यायालय के द्वारा निर्देश दिया गया है।

न्यायमूर्ति शाह की पीठ को निर्दिष्ट किया गया।

Digitally signed by Shailendra Kumar Verma
Date: 2023.10.21 10:43:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,sitapur